G20
कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम
नैनीताल रोड, हल्द्वानी पिन कोड– 263139
(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000
E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष– 05946–220035

पत्रांक :–888 /मार्केटिंग अनुभाग   दिनांक :– 18/7/25

सार्वजनिक ई–निविदा सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम द्वारा निम्नलिखित टू–बिट आधारित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	निविदा की तिथि	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
01	नगर निगम सीमान्तर्गत नगर निगम द्वारा पथ प्रकाश हेतु डिवाइडरों पर स्थापित 320 विद्युत पोलों पर पोल कियोस्क स्थापित कर विज्ञापन शुल्क वसूली।	दि019.07.25 को 11:00 AM से दि001.08.25 को 01:00 PM तक	दि001.08.25 को 03:00 PM	कक्ष सं0 12

उपरोक्त ई–निविदा http://www.uktenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं। निविदा की नियम व शर्तें नगर निगम की बेबसाइट www.haldwaninagarnigam.in पर भी देखी जा सकती है।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

महापौर
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित :–

1. सम्पादक दैनिक हिन्दुस्तान कुमांऊ संस्करण एवं सम्पादक दैनिक भास्कर ....को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त ई–निविदा को न्यूनतम निर्धारित दरों में अधिकतम 40 वर्ग सेमी0 पठनीय स्पेस में में प्रकाशित कर भुगतान हेतु संस्करण की दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. प्रांजलि वैंचर्स को इस आशय से प्रेषित की वे उपरोक्त निविदा सूचना नगर निगंम वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, कार्यालय तहसीलदार हल्द्वानी, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
4. कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम सीमान्तर्गत डिवाइडरों पर स्थापित विद्युत पोलों पर वर्ष 2025–2027 हेतु पोल कियोस्क (विज्ञापन पट्ट) लगाकर विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु ई–निविदा की शर्तें एवं प्रावधान :–

1. नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम द्वारा नैनीताल–बरेली रोड में काठगोदाम से नई मण्डी तक तथा कालाढूंगी मार्ग पर कालाढूंगी चौराहे से ब्लाक कार्यालय तक डिवाइडरों पर स्थापित कुल 320 विद्युत पोलों में पोल कियोस्क (विज्ञापन पट्ट) स्थापित कर विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश में वर्णित तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक के लिये मान्य होंगी।
2. विद्युत पोलों पर पोल कियोस्क अधिकतम 2.5×03 फीट के आकार के लगाये जायेगें जो भूमि से कम से कम 2.5 मी0 ऊँचाई पर स्थापित किये जायेगें। पोल कियोस्क सम्बंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बंध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
3. उक्त कार्य हेतु रू0 47,00,000/– (रू0 सैंतालीस लाख मात्र) प्रति वर्ष न्यूनतम धनराशि निर्धारित है जिस पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा।
4. निविदा विज्ञापन शुल्क वसूली प्रपत्र सरकारी ई–निविदा पोर्टल **www.uktenders.gov.in** पर ऑनलाईन जमा की जायेगी। तकनीकी बिड की स्वप्रमाणित मूल प्रति/हार्ड कॉपी दिनांक 01.08.25 को अपराहन 01:00 बजे तक नगर निगम कार्यालय के कक्ष संख्या 12 में निविदा बॉक्स में डाली जा सकती हैं, जो उसी दिन निविदा समिति द्वारा अपराहन 03:00 बजे खोली जायेंगी। तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेंगी।
5. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के नाम पर बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एफ0डी0आर0 तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति, विगत 03 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न एवं विगत 03 वित्तीय वर्षों का औसतन रू0 70,00,000 (रू0 सत्तर लाख) प्रतिवर्ष का टर्न ओवर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में निविदादाता की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
6. किसी भी निविदादाता को नगर निगम का बकायेदार होने की दशा में तथा किसी भी संस्था द्वारा काली सूची में (ब्लैक लिस्ट) होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इच्छुक निविदादाता इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे।
7. यदि किसी निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार के गलत दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं या भविष्य में पाये जाते हैं, तो उक्त निविदादाता की निविदा निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि का 50 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति की तिथि से 05 दिन के भीतर नगर निगम कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
9. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने की 07 (सात) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
10. उच्चतम निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में निविदा धनराशि न जमा कराये जाने या अनुबन्ध न कराये जाने पर जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं द्वितीय चयनित निविदादाता (H2) की निविदा को (HI) की प्रस्तावित निविदा धनराशि पर शेष समयावधि के लिए स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है।
11. अनुबन्धकर्ता द्वारा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित 06 माह के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा।
12. अधिकृत ठेकेदार द्वारा लगाये गये विद्युत पोल पर स्थापित पोल कियोस्क का समय–समय पर नगर निगम के विद्युत अनुभाग के प्रकाश निरीक्षक/कर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण में यदि यह पाया जाता है कि अधिकृत ठेकेदार द्वारा स्थापित पोल कियोस्क इस प्रकार से लगाये गये हैं जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है या स्थापित पोल कियोस्क नगर के सौन्दर्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं तो ऐसे पोल कियोस्क को नगर निगम द्वारा तत्काल हटा दिया जायेगा। इस सम्बंध में विज्ञापन एजेन्सी/अधिकृत निविदादाता को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
13. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और माननीय न्यायालय के आदेश पर कोई भी पोल कियोस्क हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बंधित एजेन्सी को निर्धारित समय में पोल कियोस्क हटाना होगा।
14. शासन द्वारा भारित अन्य कर व जी0एस0टी0 आदि भी अधिकृत विज्ञापन एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा देय होंगे।
15. पोल कियोस्क इस प्रकार लगाने होंगे कि पोल कियोस्क ऑधी तूफान में भी पूर्णतः सुरक्षित रहें तथा यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो फिर भी यदि पोल कियोस्क के कारण कोई दुर्घटना होती है तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
16. विज्ञापन पट्टों पर सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पाद एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जायेंगे।

क्रमशः.........2

17. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्रावधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी नैनीताल) के सम्मुख अपील की जा सकती है।

18. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आवंटन समिति नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम में निहित होगा तथा किसी भी वाद के लिए क्षेत्राधिकार जिला नैनीताल के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।

19. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

20. अधिकृत विज्ञापन एजेन्सी/ठेकेदार को समय-समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन/राज्य सरकार/माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

21. पोल कियोस्क लगाने में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कार्मिकों का नियमानुसार पी0एफ0, बीमा एवं सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था अधिकृत फर्म/ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।

22. निविदादाता को अपने आवंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई बिजली के खम्भों पर लगे अवैध पोल कियोस्क व छतों पर लगे अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरूद्ध स्वयं कार्यवाही करनी होगी। अधिकृत विज्ञापन एजेन्सी/ठेकेदार इस सम्बंध में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरूद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होगा।

23. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन/विज्ञापन पट्टों की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

24. विज्ञापन पट्ट/पोल कियोस्क लगाये जाने वाले ढाँचों और पट्ट सहित प्रत्येक विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

25. अधिकृत विज्ञापन एजेन्सी/ठेकेदार का कार्य ठेका अवधि में पूर्णतया सन्तोषजनक होने या कतिपय परिस्थितिवश जब तक पुनः निविदा न हो जाय तो ऐसी स्थिति में स्वीकृत फर्म को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर विचार किया जा सकता है जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

<u>अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि -</u>

(क) ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में निविदा की शर्तें अनुबन्ध का भाग होंगी, तथा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में रू0 5,000/-, दूसरी बार में रू0 10,000/- जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनीतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो।

मार्केटिंग लिपिक
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।

कर निरीक्षक
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।

कर अधीक्षक
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।

नोडल मार्केटिंग अनुभाग
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।

वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।

महापौर
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।